तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/1/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 7/3/22 को पेश हो।
07/03/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के समक्ष रजि० डाक द्वारा भेजने का एक और अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है पत्रावली दिनांक 18/04/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर SDO (गुढ़ामालानी
18/04/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के समक्ष रजि० डाक द्वारा भेजने का एक और अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जा चुका है। न्यायहित में एक और अंतिमतम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23/05/22 को पेश हो (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर SDO (गुढ़ामालानी
23/05/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के समन डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश नहीं की है। वकील प्रार्थीगण द्वारा उक्त उनवान प्रकरण दिनांक 25/6/21 को दायर करवाया गया था एक वर्ष की अवधि में भी विप्रार्थीगण की तलबी पूर्ण नहीं करवाई गई है अतः उक्त उनवान प्रकरण तलबी के [illegible] अन्तर्गत [illegible] आदेश [illegible] अदम तकमील में [illegible] जाता है पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:23 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान सहायक कलक्टर एवं (एस डी ओ) महोदय,
गुडामालानी ।

प्रार्थीगण :–

1. मनोहरसिंह पुत्र श्री जबरसिंह उम्र 33वर्ष
2. गिरधरसिंह पुत्र श्री जबरसिंह उम्र 26 वर्ष
कौम राजपुत निवासी चकगुडा
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर ।

Court
Report to Reader
Presented by adv. Ma... (che...)
—Ahuja
25/...

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. जबरसिंह पुत्र श्री शम्भुसिंह उम्र 60 वर्ष
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री जबरसिंह उम्र 23 वर्ष
3. रेवतसिंह पुत्र श्री जबरसिंह उम्र 20 वर्ष
4. अर्जूनसिंह पुत्र श्री शम्भुसिंह उम्र 58 वर्ष
5. सरियाकंवर पत्नी बिजराजसिंह उम्र 75 वर्ष
6. मोहनकंवर पत्नी श्री शम्भुसिंह उम्र 80 वर्ष
7. अर्जूनसिंह पुत्र श्री बिंजराजसिंह उम्र 60 वर्ष
कौम राजपूत साकिन चकगुडा तहसील गुडामालानी
8. मैनेजर एस बी आई शाखा गुडामालानी
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उपपंजियक गुडामालानी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

महोदयजी,

प्रार्थीगण आवेदन पत्र निम्न प्रकार से है कि :–

मनोहर सिंह

... द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 40 व 207 रा0 का0 अधिनियम का पैश किया गया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है ।

2. कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की कब्जा काश्त की खातेदारी जमीन तहसील गुडामालानी पटवार मण्डल आलपुरा के ग्राम चकगुडा के खेत खसरा नम्बर 59 , 59/4 कुल रकबा 57–11 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं इसी ग्राम के खसरा नम्बर 41 रकबा 59–19 बीघा किस्म बा. दोयम का आया हुआ है । जिसकी नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ सलग्न पैश है।

3. कि विप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण का पिता जबरसिंह वाद पत्र मे वर्णित उपरोक्त खसरान की भूमि किसी अन्य अजनवी व्यक्ति के बहकावे मे आकर उक्त विवादित आराजी बैचान करने की धमकी दी है । प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 01 के पूर्व पुरूष शम्भुसिंह की जायन्दा संतान व वारिसान है कि विप्रार्थी संख्या 01 ने पैतक आराजी मे अपने नाम का बैजा फायदा उठाकर उपरोक्त विवादित आराजी का अजनवी व्यक्तियो को बैचान पर उतारू है इसलिऐ यह प्रार्थना पत्र विप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु श्रीमानजी के समक्ष पैश किया जा रहा है । तथा उपरोक्त विवादित आराजी को प्रार्थीगण के हक हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने हेतु प्रार्थीगण ने अलग से एक वाद श्रीमान न्यायालय मे प्रस्तुत किया हुआ है जिसमे समय लगना लाजमी है ।

4. कि वर्तमान मे भूमि की कीमतो मे आई अप्रत्याशित वृद्वि होने के कारण भूमि का हस्तान्तरण विप्रार्थी संख्या 01 किसी अजनवी व्यक्ति को बैचान करने पर उतारू है तथा प्रार्थीगण को सहदायिगी सम्पति से वंचित रखना चाहता है तथा प्रार्थीगण को उसके हक व हिस्से की भूमि से हमेशा महरूम करने पर विप्रार्थी संख्या 01 प्रयासरत है प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त , रहवासी ढाणी से बेदखल करना चाहता है क्योंकि विवादित आराजी मे प्रार्थीगण का पैतृक हक व हिस्सा की भूमि होने के कारण व प्रार्थीगण के पुर्वज शम्भूसिंह के प्रार्थीगण वैध उत्तराधिकारी होने के नाते हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी मे जन्म से ही हक व अधिकार उत्पन्न होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को अपने हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि को बैचान हस्तान्तरण करने का कोई विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:23 IST
Reason: SelfAttested